न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
52/2021	05.07.2021	27-5-21

छीतर पुत्र गोपी, माली निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. रामफूल पुत्र लालाराम, माली निवासी महुकलॉं तह0 गंगापुर सिटी
2. रामजीलाल पुत्र श्योफूल, माली निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बावत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट, प्रति. संख्या 2 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 440 रकबा 0.21 है0 ग्राम सलौना मे स्थित है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण बिना विभाजन ही भूमि ख0न0 440 के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा करना चाहते है। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि पर मकान बनाने के लिए नींव खोदना चालू कर दिया। वादी ने जब मना किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने खसरा नम्बर 440 के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा करने की धमकी दी। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 440 रकबा 0.21 है0 ग्राम खूटला सलौना का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्ड्स से पृथक पृथक विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से मे आने वाली भूमि के कब्जे काश्त मे वादी को बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि ख0न0 440 रकबा 0.21 है0 के सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 ने रिहायसी मकान, लिसोडा के पेड, 15—20 नीबू के पेड, 2—3 करोजें के पेड, 5 बबूल के बडे पेड, सफेदे के पेड, लेट्रिन बाथरूम व पानी के लिए टेंक बना रखा है तथा चारों तरफ उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु डौलमेड लगा रखी है। जिसमे

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रतिवादी संख्या 2 रिहायश कर काश्त करता चला आ रहा है। जिससे किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। वादी ने कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है। जबाब के काउन्टर क्लेम मे प्रतिवादी ने अंकित किया है कि साबिक ख0न0 577 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा से नवीन ख0न0 440 रकबा 1.01 है0, ख0न0 441 रकबा 0.38 है0 बना। जिसको वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व सगा भाई मोहनलाल ने सरस नरस करके आज से करीब 40 वर्ष पूर्व बंटवारा कर डौल मेड बना रखी है। उसी मौखिक बंटवारे के अनुसार पक्षकारान शांतिपूर्वक भूमि काश्त करते चले आ रहे है। ख00 440, 441 मे से सम्पूर्ण खसरा नम्बर 441 रकबा 0.38 है0 एवं ख0न0 440 मे से 0.70 है0 भूमि गैर मुमकिन रेल्वे लाईन के लिए अवाप्त हो चुकी है। जिसका नवीन ख0न0 1986/440 रकबा 0.70 है0 व ख0न0 1987/441 रकबा 0.01 है0 व ख0न0 441 रकबा 0.37 है0 बना है। जो रेल्वे विभाग के नाम है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का सगा भाई सहखातेदार मोहनलाल ने सम्पूर्ण मुआवजा प्राप्त कर लिया है क्योकि बंटवारे के अनुसार उक्त भूमि वादी व सगा भाई मोहनलाल की भूमि विभाजन की रही थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त नही किया है। बंटवारे के अनुसार ख0न0 440 रकबा 1.01 है0 मे से बची शेष भूमि रकबा 0.31 है0 का राजस्व कर्मचारियों की गलती से रिकॉर्ड मे अंकन न होकर 0.21 है0 का इन्द्राज हो गया है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रकबे की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व कर्मचारियेां की गलती से नही चढाया है व प्रतिवादी संख्या 2 का ख0न0 440 रकबा 0.21 है0 पर सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा काश्त करीब 40 वर्षो से पूर्व से है। ख0न0 34 रकबा 0.94 है0 भूमि मे से वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के सगे भाई मोहन का 1/4 हिस्सा बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 5.8.13 को भूमि ख0न0 440 रकबा 0.21 है0, ख0न0 467 रकबा 1.20 है0 कुल रकबा 1.41 है0 मे से 1/4 हिस्सा विक्रय कर भूमि पर कब्जा दे दिया है। साबिक ख0न0 584 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा का नवीन ख0न0 467 रकबा 1.20 है0 मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के सगे भाई मोहनलाल ने बंटवारे अनुसार अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा नजरी नक्शे मे मुताबिक लाल रंग से दर्शित भाग पर चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से साज कर तथ्यो से छुपाकर यह दावा प्रस्तुत किया है। इसलिए यह दावा चलने योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 440 रकबा 0.31 है0 का प्रतिवादी संख्या 2 को सम्पूर्ण खातेदार घोषित कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्द्राज निरस्त किये जावे। हाल खसरा नम्बर 34 ग्राम बाढ खूटला एवं हाल ख0न0 467 रकबा 1.20 है0 ग्राम खूटला सलौना मे हिस्सा मुताबिक मौखिक बंटवारा अनुसार मीट्स एंड बाउन्ड्स कर अलग अलग विभाजन कर अलग अलग खाता कायम कर नजरी नक्शे मे तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अलग से कायम की जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी को किसी प्रकार की मजामहत पैदा नही करे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 111 ग्राम खूटला सलौना प्रस्तुत की है।

जबाब मय काउन्टर क्लेम के समर्थन मे प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

दिनांक 24.3.2026 को वादी एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय पर उपस्थित नही हुए। कई बार आवाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नही हुआ। इसलिए वादी का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया गया।

काउन्टर क्लेम पर बहस विद्धान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 2 के विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब मय काउन्टर क्लेम के अनुरूप बहस करते हुए वादी का दावा खारिज करने एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्य 2 भूमि ख0न0 440 के 0.31 है0 ग्राम खूटला सलौना के 0.31 है0 भूमि की खातेदारी चाहता है जबकि नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 111 के अनुसार यह भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा ही है। प्रतिवादी के कथनानुसार इस भूमि मे से 0.70 है0 भूमि रेल्वे विभाग को अवाप्ति मे जा चुकी है एवं इस नम्बर का रकबा 1.01 है0 होने के कारण शेष 0.31 है0 भूमि रहती है परन्तु अपने इस कथन के समर्थन मे प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई दस्तोवजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 का इस नम्बर के बाबत काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 3 ने भूमि ख0न0 34 रकबा 0.94 है0 ग्राम बाढखूटला की जमाबंदी प्रस्तुत नही की है एवं इस भूमि के खातेदारों को तलब भी नही करवाया गया है। इसलिए इस नम्बर के बाबत भी प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम राजस्व अभिलेख के अभाव मे अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27-5-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

छीतर पुत्र गोपी, माली निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. रामफूल पुत्र लालाराम, माली निवासी महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. रामजीलाल पुत्र श्योफूल, माली निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बावत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —52/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई श्री महेश चंद अग्रवाल एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम राजस्व अभिलेख के अभाव मे अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-5-26 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज०)